

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3-3प-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2014/चैत्र 12, 1936

No. 186]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CHAITRA 12, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली ,31 मार्च, 2014

सा.का.नि.256 (अ). – केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धाराओं (1) और (2) के साथ पठित धारा 2 के खंड (31), धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इन नियमों में समाविष्ट विषयों पर कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किन्ही अन्य नियमों का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014है।
- (2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम निम्नलिखित से भिन्न किसी कंपनी के लिए लागू होंगे -
- (i) बैंककारी कंपनी;
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथापरिभाषित भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत एक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी;

- (iii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) में यथापरिभाषित राष्ट्रीय आवास बैंक में रजिस्ट्रीकृत आवास वित्त कंपनी; और
- (iv) अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई कंपनी।

परिभाषाएं

- .2 (1) इन नियमों में जब तक कि ,संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;
- (ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) "जमा" में किसी कंपनी द्वारा जमा या ऋण या किसी अन्य स्वरूप में प्राप्त धनराशि सम्मिलित है किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है-
- (i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई धनराशि, या किसी अन्य स्नोत से प्राप्त धनराशि जिसके प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा है, या किसी स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि या संसद या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित किसी कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त कोई धनराशि;
- (ii) विदेशी सरकारों, विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉपॉरेशन और अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक सम्मिलित हैं, किंतु यह इन तक सीमित नहीं है), विदेशी सरकार के स्वामित्व वाले विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियों, विदेशी सहयोगकर्ताओं, विदेशी निकाय कॉपॉरेट और विदेशी नागरिकों, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों या विदेशी प्राधिकरणों से प्राप्त कोई रकम:
- (iii) किसी बैंककारी कंपनी या भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी समनुषंगी बैंक या केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन अधिसूचित किसी बैंककारी संस्थान या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 के खंड (घ) या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा (2) के खंड (ख) में यथापरिभाषित समनुरूप नए बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख-ii) में यथापरिभाषित किसी सहकारी बैंक से ऋण या सुविधा के रूप में प्राप्त कोई धनराशि;

- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के यथापरिभाषित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं या बीमा कंपनियों या अधिसूचित बैंकों से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई धनराशि;
- (v) वाणिज्यिक कागजात जारी किए जाने के विरुद्ध या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों या अधिसूचना के अनुसरण में जारी किसी अन्य लिखत से प्राप्त कोई धनराशि;
- (vi) किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी से प्राप्त कोई धनराशि;
- (vii) किसी प्रतिभूति के अभिदान के लेखे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए किसी प्रस्ताव के अनुसरण में प्राप्त और धारित कोई धन रकम जिसके अधीन शेयर आवेदन रकम या प्रतिभूति के लंबित आबंटन के प्रति अग्रिम रकम भी है, जहां तक यह धनराशि आवेदन की गई प्रतिभूति के आबंटन के कारण बकाया रकम में विनियोजित की जाती है;

स्पष्टीकरण -

इस उपखंड के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि-

- (क) किसी अन्य दायित्व या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि वे प्रतिभूतियां, जिनके लिए आवेदन रकम या अग्रिम गया है, ऐसी प्रतिभूतियों के लिए आवेदन रकम या अग्रिम रकम प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अंदर आबंटित नहीं की जाती है और यह आवेदन रकम या अग्रिम रकम अंशदाताओं को साठ दिन पूरे होने की तारीख से पदंह दिन के अंदर नहीं लौटाई जाती तो ऐसी रकम को इन नियमों के अधीन जमा रकम माना जाएगा।
- (ख) किसी अन्य प्रयोजन के लिए रकम के किसी समायोजन को प्रतिसंदाय नहीं माना जाएगा।
- (viii) किसी व्यक्ति से, जो धनराशि की प्राप्ति के समय कंपनी का एक निदेशक था, प्राप्त कोई धनराशिः
 - परंतु यह तब जब वह निदेशक जिससे धनराशि प्राप्त की जाती है, धनराशि देते समय कंपनी को इस आशय की लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा दी जा रही धनराशि अन्य लोगों से ऋण या जमा रकम के रूप में लेकर या स्वीकार करके अर्जित निधियों में से नहीं दी जा रही है:
- (ix) अधिनियम की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट किसी आस्ति पर पहले प्रभार के साथ समरूप पहले प्रभार द्वारा प्रतिभूत बांड या डिबेंचरों को जारी करके प्राप्त कोई धनराशि जिसमें कंपनी की अमूर्त आस्तियां या कंपनी के पांच वर्ष के भीतर कंपनी के शेयरों में अविवार्यत: संपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर सम्मिलित नहीं है;

परंतु यदि ऐसे बांड या डिबेंचर अमूर्त आस्तियों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट किसी आस्ति के प्रभार द्वारा प्रतिभूत हों तो ऐसे बांड या डिबेंचरों की रकम किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यनिर्धारक द्वारा निर्धारित ऐसी आस्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगीः

- (x) कंपनी के किसी कर्मचारी से ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त कोई धनराशि जो कंपनी के साथ रोजगार संविदा के अधीन उसके वार्षिक वेतन से अधिक न हो;
- (xi) प्राप्त या विश्वास में धारित कोई ब्याज रहित धनराशि;
- (xii) कंपनी के कारबार के दौरान या प्रयोजनार्थ प्राप्त कोई धनराशिः
- (क) माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी स्वरूप में प्राप्त अग्रिम धनराशि बशर्ते कि उक्त अग्रिम रकम का विनियोजन माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के प्रति उक्त अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से 365 दिन की अवधि के भीतर विनियोजित कर लिया जाए।

परंतु किसी ऐसी अग्रिम रकम के मामले में, जो किसी न्यायालय के समक्ष किसी विधिक कार्यवाही की विषय-वस्तु है, 365 दिन की समय-सीमा लागू नहीं होगी,

- (ख) किसी करार या ठहराव के अधीन संपत्ति के प्रतिफल से संबद्ध किसी भी प्रकार से प्राप्त धनराशि परंतु यह तब जब कि उक्त अग्रिम, करार या ठहराव के निबंधनों की शर्तों के अनुसार संपत्ति के प्रति समायोजित कर ली जाती है।
- (ग) माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रदान किए जाने के लिए संविदा के पालन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में।
- (घ) उपर्युक्त मद (ख) के अधीन आने के सिवाय पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम धनराशि के रूप में।

परंतु यदि उपर्युक्त मदों (क), (ख) और (घ) के अधीन प्राप्त धनराशि इसलिए प्रतिबकाया (ब्याज सहित या उसे बिना) हो जाती है कि धनराशि स्वीकृत करने वाली कंपनी को माल या संपत्तियों या सेवाओं, जिनके लिए धनराशि ली गई है, से संबंधित अनुज्ञा या अनुमोदन, जहां कहीं अपेक्षित हैं, प्राप्त नहीं है तो प्राप्त धनराशि को इन नियमों के अधीन जमा माना जाएगाः

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजनार्थ प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट धनराशि को प्रतिदाय के लिए बकाया होने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति पर जमा माना जाएगा।

(xiii) किसी ऋणदाता वित्तीय संस्था या बैंक अनुबंध के अनुसरण में अप्रतिभूत ऋण के रूप में कंपनी के संप्रवर्तकों द्वारा लाई गई कोई धनराशि जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अधीन है; अर्थात्:-

- (क) ऋण, ऋणदाता संस्था द्वारा ऐसे वित्त के अंशदान के लिए संप्रवर्तकों पर अधिरोपित अनुबंध के अनुसरण में लाया जाता है;
- (ख) ऋण संप्रवर्तकों द्वारा स्वयं या उनके संबंधियों या दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है; और
- (ग) इस उप-खंड के अधीन छूट वित्तीय संस्था या बैंक को ऋण को प्रतिसंदत करने तक ही उपलब्ध होगी, उसके पश्चात् नहीं।
- (xiv) अधिनियम की धारा 406 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी निधि कंपनी द्वारा स्वीकृत कोई धनराशि।

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजनार्थ, -

- (क) कंपनी द्वारा किश्तों में या अन्यथा किसी व्यक्ति से लाभ देने के वचन या प्रस्ताव के साथ नकद रूप या मालरूप में वचन या प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर उसके पूर्व किसी भी प्रकार से प्राप्त रकम, या
- (ख) कंपनी द्वारा उक्त वचन या प्रस्ताव के भाग के रूप में उपर्युक्त मद (क) के अधीन रकम से अधिक किया गया कोई भी अतिरिक्त अंशदान, जमा रकम माना जाएगा।
- (ग) 'जमाकर्ता' से अभिप्रेत है-
- (i) कंपनी का कोई सदस्य जिसने अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी में जमा किया है, अथवा
- (ii) कोई व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा 76 के उपबंधों के अनुसरण में किसी पब्लिक कंपनी में जमा किया है।
- (घ) "पात्र कंपनी" से धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है जिसका शुद्ध मूल्य एक सौ करोड़ रुपए से कम न हो और जिसका टर्नओवर पांच सौ करोड़ रुपए से कम न हो और जिसने एक विशेष संकल्प द्वारा जनता से जमा स्वीकृति के किसी आमंत्रण के लिए साधारण बैठक में कंपनी की पूर्व सहमति अभिप्राप्त कर ली हो और उक्त संकल्प कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया हो;
 - परंतु ऐसी पात्र कंपनी, जो धारा 180 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर जमा स्वीकृत कर रही है, साधारण संकल्प द्वारा जमा स्वीकृत कर सकेगी।
- (ङ) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्री कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है;
- (च) "प्ररूप" या "ई-प्ररूप" से इन नियमों के उपाबंध में दिया प्ररूप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;

- (छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ज) "न्यासी" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 12) की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यासी से अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो ,क्रमश: इन अधिनियमों या उक्त नियमों में उनके हैं।
- 3. कंपनियों द्वारा जमा की स्वीकृति के निबंधन और शर्ते:---
- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर और उसके पश्चात्, —
- (क) धारा 73 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई कंपनी और कोई पात्र कंपनी कोई जमा, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत, जो उक्त जमा की स्वीकृति या नवीकरण की तारीख से छः माह से कम या छत्तीस माह से अधिक की अविध में मांग पर या नोटिस प्राप्त होने पर बकाया हो, स्वीकार या उसका नवीकरण नहीं करेगीः

परंतु कोई कंपनी निधियों की अपनी अल्पकालिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, यथा स्थिति, जमा या नवीकरण की तारीख से छः माह की अविध से पहले प्रतिसंदाय के लिए उक्त जमा स्वीकार या उसका नवीकरण इस शर्त के अध्यधीन कर सकेगी कि-

- (क) उक्त जमा, कंपनी की संमादत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षितियों के योग के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और
- (ख) उक्त जमा उसके जमा या नवीकरण की तारीख से तीन माह पूर्व बकाया न हों।
- (2) यदि जमाकर्ता ऐसी वाछां करें, तो जमा, तीन से अधिक संयुक्त नामों से, किसी खंड के साथ या उसके बिना अर्थात् "संयुक्त रूप से", "दोनों में से कोई या उत्तरजीवी", "पहला नाम या उत्तरजीवी", "कोई भी या उत्तरजीवी" स्वीकार किए जा सकेंगे।
- (3) धारा 73 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अपने सदस्यों से कोई जमा स्वीकार या नवीकरण नहीं करेगी यदि ऐसी जमा की रकम और ऐसी जमा की स्वीकृति या नवीकरण की तारीख को बकाया अन्य जमा का योग कंपनी की संमादत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षितियों के योग के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है।
- (4) कोई पात्र कंपनी निम्नलिखित जमा स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगी —

- (क) अपने सदस्यों से कोई जमा, यदि सदस्यों से प्राप्त ऐसी जमा और ऐसी जमा की स्वीकृति या नवीकरण की तारीख को बकाया जमा की रकम का योग कंपनी की समांदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षितियों के योग के दस प्रतिशत से अधिक हैं;
- (ख) कोई अन्य जमा, यदि उक्त जमा की रकम और खंड (क) में निर्दिष्ट जमा से भिन्न ऐसी अन्य जमा स्वीकृति या नवीकरण की तारीख को बकाया जमा का योग कंपनी की समांदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षितियों के योग के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है।
- 5. जमा स्वीकृत करने की पात्र कोई सरकारी कंपनी धारा 76 के अधीन कोई जमा स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगी यदि उक्त जमा और स्वीकृति या नवीकरण की तारीख को बकाया अन्य जमा की रकम का योग कंपनी की समांदत्त शेयर पूंजी और और मुक्त आरक्षितियों के योग के पैतीस प्रतिशत से अधिक है।
- 6. धारा 73 की उप-धारा (2) के निर्दिष्ट कोई कंपनी या कोई पात्र कंपनी किसी भी रूप में कोई जमा, जिसकी ब्याज दर या दलाली की दर गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा स्वीकृति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित अधिकतम ब्याज दर या दलाली से अधिक है, आमंत्रित या स्वीकार या नवीकरण नहीं करेगी।

स्पष्टीकरणः इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल वही व्यक्ति, जिसे किसी कंपनी द्वारा उनकी ओर से जमा की याचना करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाता है और जिसके माध्यम से जमा वास्तव में उपाप्त होती है, दलाली लेने का हकदार होगा और जमा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दलाली का भुगतान इन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

7. कोई कंपनी, विज्ञापन के रूप में परिपत्र या परिपत्रों के जारी किए जाने और जमा स्वीकार किए जाने के पश्चात् जमा, जमा विश्वसनीयता विलेख और जमा बीमा संविदा के किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों में जमाकर्ता के लिए प्रतिकूल या अहितकर परिवर्तन का प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अधिकार आरक्षित नहीं करेगी।

विज्ञापनों या परिपत्रों के प्ररूप और विशिष्टियां -

(1) धारा 73 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी जो अपने सदस्यों से जमा आमंत्रित करने का आशय रखती है प्ररूप डीपीटी-1 में अपने सभी सदस्यों को सम्यक अभिस्वीकृति सहित रिजस्ट्री डाक या त्वरित डाक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक परिपत्र जारी करेगी।

परंतु कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रीति से सभी सदस्यों को इस प्रकार का परिपत्र जारी करने के अतिरिक्त यह परिपत्र अंग्रेजी भाषा में किसी अंग्रेजी समाचार-पत्र में और राज्य, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्री कार्यालय स्थित है, में व्यापक परिचालन वाले एक प्रांतीय समाचार-पत्र में उस प्रांत की भाषा में जारी करेगी।

- (2) जमा आमंत्रित करने के लिए आशायित प्रत्येक पात्र कंपनी इस प्रयोजन के लिए प्ररूप डीपीटी-1 में विज्ञापन के रूप में एक परिपत्र अंग्रेजी भाषा में किसी अंग्रेजी समाचार-पत्र में और राज्य, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्री कार्यालय स्थित है, में व्यापक परिचालन वाले एक प्रांतीय समाचार-पत्र में उस प्रांत की भाषा में जारी करेगी।
- (3) जनता से जमा आमंत्रित करने वाली प्रत्येक कंपनी अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर परिपत्र की एक प्रति अपलोड करेगी।
- (4) कोई कंपनी जमा आमंत्रित करने के लिए कोई परिपत्र या विज्ञापन के रूप में कोई परिपत्र जारी नहीं करेगी या अपनी ओर से किसी व्यक्ति को जारी करने या कराने का अनुज्ञा तब तक नहीं देगी जब तक कि ऐसा परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र कंपनी के निदेशक बोर्ड के प्राधिकार और नाम पर जारी न किया जाए।
- (5) किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से कोई परिपत्र या विज्ञापन के रूप में कोई परिपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि जारी करने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले कंपनी के बोर्ड या उसके द्वारा लिखित में सम्यक रूप में प्राधिकृत एजेंटों द्वारा परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र को अनुमोदित करते समय कंपनी के निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री के लिए परिदत्त न दी जाए।
- (6) जारी किया गया कोई परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र वित्तीय वर्ष, जिसमें यह जारी किया जा रहा है, के समापन की तारीख से छः माह समाप्त होने या उस तारीख जब वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी के वित्तीय विवरण रखे जाने हैं या यदि किसी वर्ष में साधारण वार्षिक बैठक न हुई हो तो उस अंतिम दिन जब अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए था, इनमें से जो भी पहले हो, तक मान्य होगा और प्रत्येक पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में उस वित्तीय वर्ष के दौरान जमा आमंत्रित करने के लिए नया परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनार्थ समाचार-पत्र, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित होता है, निकलने की तारीख को विज्ञापन जारी करने की तारीख माना जाएगा और परिपत्र भेजने की तारीख को परिपत्र जारी करने की प्रभावी तारीख माना जाएगा।

5. जमा बीमा की रीति और विस्तार -

(1) धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी और जमा आमंत्रित करने वाली प्रत्येक अन्य पात्र कंपनी, यथास्थिति, परिपत्र या विज्ञापन जारी करने से कम से कम तीस दिन पहले या नवीकरण की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले, जमा बीमा का उपबंध करने के लिए संविदा करेगी।

स्पष्टीकरण - इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए जमा बीमा संविदा में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि मूल रकम और उस पर बकाया ब्याज दोनों के संबंध में मानी जाएगी। (2) जमा बीमा संविदा में स्पष्ट रूप से उपबंध होगा कि यदि कंपनी मूल रकम और उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम करती है तो जमाकर्ता, संविदा में यथाविनिर्दिष्ट कुल वित्तीय अधिकतम सीमा तक बीमाकर्ता द्वारा जमा की मूल रकम और उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय का हकदार होगा;

परंतु कि यदि कोई जमा और उस पर ब्याज बीस हजार रुपए से कम हो, तो जमा बीमा संविदा में जमा और ब्याज की पूरी रकम के भुगतान का उपबंध होगा और यदि जमा और उस पर ब्याज बीस हजार रुपए से अधिक हो तो जमा बीमा संविदा में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए बीस हजार रुपए से अन्यून की रकम के भुगतान का उपबंध होगा।

- (3) प्रत्येक जमा के बीमा पर संदत्त बीमा प्रीमियम की रकम कंपनी द्वारा ही दी जाएगी और मूल रकम और उस पर बकाया ब्याज में से रकम काटकर जमाकर्ताओं से इसकी वसूली नहीं की जाएगी।
- (4) यदि कंपनी जमा बीमा संविदा की निबंधनों व शर्तों के अनुपालन में कोई ऐसी व्यतिक्रम करती है जिससे बीमा कवर निष्प्रभावी हो जाए तो कंपनी या तो तत्काल व्यतिक्रम में सुधार करेगी या तीस दिन के भीतर नई संविदा पर हस्ताक्षर करेगी और गैर-अनुपालन के मामले में जमा बीमा संविदा के अधीन आने वाले जमा की रकम और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय अगले पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा और यदि उक्त पंद्रह दिन के भीतर ऐसी कंपनी जमा की रकम का प्रतिसंदाय भीतर किया जाएगा और यदि उक्त पंद्रह दिन के भीतर ऐसी कंपनी जमा की रकम का प्रतिसंदाय नहीं करती है तो वह विलंब की अवधि के लिए प्रतिवर्ष पंद्रह प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगी और उसे व्यतिक्रमकर्ता माना जाएगा और वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में दंडित किए जाने की भागी होगी।
- 6. प्रतिभृति का सृजन (1) प्रतिभृति प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी और प्रतिभृति जमा आमंत्रित करने वाली प्रत्येक पात्र कंपनी ऐसे जमा रकम और उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी रकम जो जमा बीमा द्वारा शेष अप्रतिभृति रकम से कम नहीं होगी, के लिए कंपनी की अमूर्त आस्तियों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची-3 में यथा निर्दिष्ट अपनी आस्तियों पर प्रभार की रीति से प्रतिभृति प्रदान करेगी –

परंतु ऐसे जमा की दशा में जो अभूर्त आस्तियों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट आस्तियों पर भार द्वारा प्रतिभूत है, ऐसीं जमा की रकम और उस पर संदेय ब्याज ऐसी आस्तियों के किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा यथानिर्धारित बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि बीमा जमा या भार के रूप में या दोनों के द्वारा कंपनी की आस्तियों पर प्रतिभूति का कुल मूल्य उस रकम से कम नहीं होगा जो जमा स्वीकार की गई है और जो उस पर संदेय ब्याज है।

स्पष्टीकरण 2 – नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (ग) के उपबंध (ix) के परंतुक और इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 247 की उप धारा (1) की अधिसूचना के लंबित रहते हुए और मूल्यांकन कर्ताओं की अर्हताएं और अनुभव को अंतिम रूप दिए जाने, स्ट्राकों, शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों आदि के मूल्यांकन कासंचालन स्वतंत्र मर्चेंट बैंकर जो

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत है या स्वतंत्र व्यवसायरत चार्टेड अकाउंटेंट जो दस वर्ष की न्यूनतम अर्हता रखता हो द्वारा किया जाएगा।

- (2) उप-नियम (1) यथा विनिर्दिष्ट में जमा के लिए प्रतिभूति (गिरवी के रूप में न होकर) जमाकर्ता के लिए न्यासी के पक्ष में सृजित की जाएगी:
- क. से कंपनी की विनिर्दिष्ट चल संपत्ति; या
- ख. से कंपनी की विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति जहां वह स्थित है या उसके किसी हित।
- 7. जमाकर्ताओं के लिए न्यासियों की नियुक्ति -
- (1) धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट कोई कंपनी या कोई पात्र कंपनी प्रतिभूति जमा आमंत्रित करने वाले परिपत्र या विज्ञापन जारी नहीं करेगी जब तक कि कंपनी ने जमाकर्ताओं के लिए प्रतिभूति के सृजन के लिए एक या अधिक न्यासी नियुक्त न किए गए हों:

परंतु यह कि जमा न्यासी (न्यासियों) से उनकी नियुक्ति से पूर्व लिखित सहमित प्राप्त की जाएगी और परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इस आशय का एक कथन किया जाएगा कि जमा न्यासी (न्यासियों) ने कंपनी को इस प्रकार की नियुक्ति के लिए अपनी सहमित दी है।

- (2) परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र जारी करने से कम से कम सात दिन पहले कंपनी प्ररूप डीपीटी-2 में एक जमा न्यासी विलेख निष्पादित करेगी।
- (3) कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत कंपनी भी है, जो न्यासी पद की सेवा का उपबंध करने के कारबार में है, को जमाकर्ताओं के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि प्रस्तावित न्यासी निम्न है-
- (क) कंपनी या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या संबद्ध कंपनी का निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कोई अन्य अधिकारी, या कर्मचारी या कंपनी में जमाकर्ता है;
- (ख) कंपनी, या उसकी समनुषंगी या उसकी नियंत्री या सहयुक्त कंपनी या ऐसी नियंत्री कंपनी की समनुषंगी का ऋणी है;
- (ग) कंपनी के साथ कोई सारवान् वित्तीय संबंध है;
- (घ) जमा द्वारा सुरक्षित मूल ऋण या उसके किसी हित के संबंध में किसी गारंटी इंतजाम पर हस्ताक्षर किए हैं;
- (ङ) उपरोक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित है।
- (4) किसी जमा न्यासी को, परिपत्र या विज्ञापन जारी होने के पश्चात् और उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले सिवाय बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित सभी निदेशकों की सहमित के उसे पद से हटाया नहीं जाएगाः

परंतु यह कि यदि कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशक रखना अपेक्षित हो तो कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड के उक्त अधिवेशन में उपस्थित होगा।

8. जमाकर्ताओं के न्यासियों के कर्तव्य -

प्रत्येक जमाकर्ताओं के न्यासी का कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) यह सुनिश्चित करे कि कंपनी की ऐसी आस्तियां, जिन पर भार, सृजित है और बीमा जमा मूल रकम के लिए बकाया सुरक्षित जमाओं और उन पर प्रोद्यभूत ब्याज के प्रतिसंदाय को पूरा पड़ने के लिए पर्याप्त है।
- (ख) स्वयं संतुष्ट हो कि जमा आमंत्रित करने वाले परिपत्र या विज्ञापन में ऐसी कोई सूचना न हो जो जमा स्कीम के निबंधनों या न्यास विलेख से असंगत हो और वे अधिनियम के नियमों और उपबंधों के अनुसार हों;
- (ग) सुनिश्चित करें कि कंपनी न्यास विलेख की प्रसंविदाओं और उपबंधों को किसी प्रकार भंग न करें:
- (घ) न्यास विलेख या जमा आमंत्रित करने के निबंधनों के किसी भंग के लिए उपचार उपाप्त करने के लिए ऐसे युक्तियुक्त उपाय करें जो कि आवश्यक हो;
- (ड.) जमाकर्ताओं का अधिवेशन बुलाने के उपाय करना जब कभी ऐसे अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो;
- (च) जमा के लिए प्रतिभूति के सृजन से संबंधित शर्तें और बीमा जमा के निबंधनों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;
- (छ) ऐसे अन्य कार्य करना जो प्रतिभूति के प्रवर्तनीय होने के लिए आवश्यक हो;
- (ज) जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्यों को करना;
- 9. जमा न्यासी द्वारा सभी जमाकर्ताओं की बैठक बुलायी जाएगी -
- (क) तत्समय बकाया मूल्य के कम से कम दसवें हिस्से के जमाकर्ताओं द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित मांग हो;
- (ख) ऐसी कोई घटना जिससे व्यतिक्रम हो या जमा न्यासी के मत में जमाकर्ताओं के हित को प्रभावित करे।

10. जमा के लिए आवेदन प्ररूप

(1) इन नियमों के आरंभ होने पर और उसके पश्चात् कोई कंपनी किसी जमा का, चाहे प्रतिभूति के साथ हो या बिन प्रतिभूति में, स्वीकार या नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में आशायित जमाकर्ता द्वारा ऐसी जमा की स्वीकृति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत न कर दिया जाए।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन में आशायित जमाकर्ता द्वारा इस आशय का एक घोषणा-पत्र होगा कि यह जमा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से उधार ली गई रकम से नहीं की जा रही है।

11. नामनिर्देशिति की शक्ति -

प्रत्येक जमाकर्ता, किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा जिसे उसकी मृत्यु की दशा में उसकी जमा निहित होगी और धारा 72 के उपबंध इस नियम के अधीन किए गए नामनिर्देशन पर लागू होंगे।

12. जमाकर्ताओं को जमा की रसीद देना -

- (1) प्रत्येक कंपनी किसी जमा की स्वीकृति या नवीकरण करने पर, जमाकर्ता या उसके अभिकर्ता को कंपनी द्वारा धनराशि के प्राप्ति या चेक के शोधन या उसके नवीनीकरण की तारीख से इक्कीस दिवस के भीतर जमा की रसीद देगी।
- (2) उपनियम 1 में निर्दिष्ट जमा रसीद पर बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसमें जमा की तारीख, जमाकर्ता का नाम और पता, कंपनी द्वारा जमा के रूप में प्राप्त धनराशि, उस पर बकाया ब्याज की दर और अवधि और उस तारीख का विवरण होगा जिसके प्रतिसंदेय है।

13. चल आस्तियों का रखरखाव और जमा प्रतिसंदेय आरक्षित खाते का सृजन

धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी और प्रत्येक पात्र कंपनी प्रत्येक वर्ष के तीस अप्रैल को या उससे पहले उक्त उपधारा के खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट रकम किसी अनुसूचित बैंक में ऐसी जमा की गई रकम को जमाओं के प्रतिसंदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं की जाएगाः

परंतु यह कि जब तक कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त न हो जाए और अगला वित्तीय वर्ष न हो, किसी भी समय जमा शेष रकम पन्द्रह प्रतिशत से नीचे नहीं रहेगी।

- 14. जमा के लिए रजिस्टर. (1) जमा स्वीकार करने वाली प्रत्येक कंपनी स्वीकृति की तारीख से अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में जमा स्वीकृति या नवीकरण के लिए एक या उससे पृथक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में पृथक निम्नलिखित विवरण प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (क) जमाकर्ता/जमाकर्ताओं का नाम, पता और पैन संख्या;
 - (ख) व्यस्क के मामले में, अभिभावक का विवरण;
 - (ग) नामनिर्देशिती का विवरण;
- (घ) जमा रसीद संख्या;
- (ङ) प्रत्येक जमा की तारीख और रकम;

- (च) जमा की अवधि और वह तारीख जिसको प्रत्येक जमा का प्रतिसंदाय किया जाना है;
- (छ) ब्याज दर ऐसी जमाएं जो जमाकर्ता को देय हो;
- (ज) ब्याज के भुगतान के लिए शोध्य होने की तारीख;
- (झ) ब्याज के भुगतान और स्रोत पर कर, यदि कोई हो, न करने के लिए आदेश और अनुदेश;
- (ञ) वह तारीख या तारीखें जिन पर ब्याज का भुगतान किया जाना है;
- (ट) बीमा जमा का विवरण जिसके अंतर्गत बीमा जमा का विस्तार भी है;
- (ठ) जमाओं के प्रतिसंदाय के लिए सृजित प्रतिभूति या भार के विवरण;
- (ड) जमा संबंधी कोई अन्य विवरण;
- (2) रजिस्टर में प्रविष्टियां जमा रसीद जारी होने की तारीख से सात दिन के अंदर की जाएंगी और ये प्रविष्टियां कंपनी के किसी निदेशक या सचिव या इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएंगी।
- (3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर अथा रजिस्टरों को रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि करने के वित्तीय वर्ष से कम से कम आठ वर्ष की अविध के लिए अच्छी व्यवस्था में रखा जाएगा।

15. जमा के समय-पूर्व प्रतिसंदाय संबंधी सामान्य उपबंध

यदि कोई कंपनी, जिसने इन नियमों और अधिनियम के अधीन जमा स्वीकार किया है, जमाकर्ता के अनुरोध पर उक्त जमा की तारीख से छह मास की अविध समाप्त होने के पश्चात् परंतु कंपनी द्वारा जमा स्वीकार करने की अविध समाप्त होने से पूर्व जमा का प्रतिसंदाय करती है तो कंपनी द्वारा उक्त जमा पर देय ब्याज दर उस दर पर, जो उस अविध के लिए जमा स्वीकृत की जाती, जिसके लिए जमा को वास्तव में संदेय किया जाता है, से एक प्रतिशत घटा दी जाएगी और कंपनी इस प्रकार घटाए गए ब्याज से अधिक दर पर ब्याज नहीं देगी:

परंतु यह कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात कंपनी द्वारा किसी जमा के उस अवधि के समाप्त होने के पहले प्रतिसंदाय को लागू नहीं होगी जिस अवधि के लिए वह जमा स्वीकार की गई थी, यदि ऐसा प्रतिसंदाय एकमात्र निम्न प्रयोजन के लिए किया जाता है:-

- (क) नियम 3 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए; या
- (ख) संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन घोषित आपातकाल की अवधि के दौरान नौसेना, थलसेना और वायुसेना के अधिकारियों या उनके परिवारों को ऐसे अधिकारियों द्वारा गठित संगमों या समितियों के आवेदन करने पर युद्ध जोखिम या अन्य संबंधित फायदों का उपबंध करने के लिएः

परंतु यह और कि यदि धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन कोई कंपनी या कोई पात्र कंपनी उस अविध के लिए, जिसके लिए कंपनी द्वारा उक्त जमा स्वीकार की गई हो, समाप्त होने से पूर्व जमाकर्ता को ब्याज की उच्चतर दर का फायदा लेने के लिए उसकी जमा का नवीकरण करने की

अनुमित देती है तो कंपनी उस जमाकर्ता को उच्चतर दर पर ब्याज का भुगतान तभी करेगी जब कि जमा का नवीकरण इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और जमा की असमाप्त अवधि से अधिक समय के लिए किया गया हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए वह अवधि जिसके लिए जमा एक वर्ष के एक भाग के लिए हो और यह भाग छह मास से कम हो, तो इसे अपवर्जित किया जाएगा और यदि यह भाग छह मास या उससे अधिक हो तो इसे एक वर्ष रखा जाएगा।

16. जमा का विवरण रजिस्ट्रार को फाइल करना -

प्रत्येक कंपनी, जिस पर ये नियम लागू हों, प्रतिवर्ष 30 जून को या उससे पहले प्ररूप डीपीटी-3 में एक विवरण उपाबंध 'ख' कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में निर्दिष्ट फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास जमा करेगी और उसमें उस वर्ष के 31 मार्च तक की ऐसी सूचना देगी जो कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से संपरिक्षित होगी।

17. शास्ति में ब्याज दर

प्रत्येक कंपनी को ऐसे जमा के मामले में चाहे वह प्रतिभूति के साथ हो या प्रतिभूति के बिना हो परिपक्व है और दावा की गई है परंतु असंदत्त है उसकी अतिशोध्य अवधि के लिए अठ्ठारह प्रतिशत की वार्षिक शास्तिक दर से संदाय करेगी।

18. कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय करने में केंद्रीय सरकार की शक्ति

किसी विशिष्ट कंपनी के संबंध में यदि इन नियमों के लागू होने को कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से करेगी।

19. पात्र कंपनियों के लिए धारा 73 और धारा 74 का लागू होना - अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में, धारा 73 और धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित पात्र कंपनियों द्वारा जनता से जमा स्वीकार करने के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण - इस प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,

यदि कोई कंपनी जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 के सुसंगत उपबंधों और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पिंट्लिक जमा स्वीकृत या आमंत्रित की है (जिसे इसके पश्चात् 'पूर्ववर्ती जमा' कहा गया है) और उक्त जमा और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय उक्त उपबंधों के अनुसार करती है और यदि वह कंपनी अधिनियम और इसके नियमों के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और पूर्ववर्ती जमा की अविध शर्तों व निबंधनों के अनुसार अधिनियम और इसके नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसरण में उक्त जमा की शेष अविध के लिए बकाया तारीख को ऐसी जमा और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय जारी रखती है तो अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों का अनुपालन किया गया माना जाएगा;

परंतु यह और कि प्रत्येक पात्र कंपनी को नई जमा को अधिनियम के अध्याय-5 के उपबंधों और इन नियमों के अनुसार स्वीकार करेगी;

20. अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान जमाओं का विवरण — धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजन के लिए विवरण प्ररुप डीपीटी- 4 में दिया जाएगा।

21. उल्लंघन के लिए दंड -

यदि धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जमा आमंत्रित करने वाली कोई कंपनी या कोई पात्र कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति इन नियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करता है जिसके लिए अधिनियम में किसी दंड का उपबंध नहीं है, तो कंपनी और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी, जिसने व्यतिक्रम की है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को पांच हजार रुपए तक का दंड दिया जा सकता है और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो उसके जारी रहने के पहले दिन के पश्चात् प्रतिदिन पांच सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा।

उपाबंध

प्ररूप डीपीटी 1

जमा आमंत्रित करने के लिए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र

[धारा 73(2)(क) और धारा 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति नियम, 2014 के नियम 4(1) और नियम 4(2) के अनुसरण में]

परिपत्र या विज्ञापन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे

1. साधारण सूचना

- क. कंपनी का नाम, पता, वेबसाइट और अन्य संपर्क ब्यौरे;
- ख. कंपनी के निगमन की तारीख;
- ग. कंपनी और उसकी समनुषंगी द्वारा किया जा रहा कारबार और उसकी शाखाओं या यूनिट, यदि कोई हो, के विवरण;
- घ. कंपनी के प्रबंधन के संक्षिप्त विवरण:
- ङ. निदेशकों के नाम. पते. डिन और उपजीविका;
- च. प्रबंधन के जोखिम कारकों के अनुमान;
- छ. व्यतिक्रम के ब्यौरे, इसमें सम्मिलित रकम के साथ, व्यतिक्रम की अवधि और निम्नलिखित के प्रतिसंदाय की वर्तमान स्थिति-
- i) कानूनी बकाया;
- ii) डिबेंचर और उस पर ब्याज;
- iii) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण और उस पर ब्याज।

2. जमा स्कीम के विवरण

- क. बोर्ड के संकल्प पारित करने की तारीख;
- ख. साधारण अधिवेशन में ऐसी जमा को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित करने की तारीख;
- ग. जमा का प्रकार, अर्थात् प्रतिभूति सहित या प्रतिभूतिरहित;
- घ. वह रकम, जो कंपनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जमा द्वारा प्राप्त की जा सकेगी, और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन और परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख को वास्तव में धारित जमा और उसको जुटाने के लिए प्रस्तावित जमा की रकम और आगामी बारह माह में प्रतिसंदाय की जाने वाली जमा की रकम का योग;
- ङ. जमा जुटाने, भुगतान की अवधि, ब्याज दर, भुगतान की रीति और उसका प्रतिसंदाय;
- च. प्रस्तावित समय अनुसूची जिसमें स्कीम के प्रारंभ की तारीख और समयावधि, जब तक परिपत्र या विज्ञापन मान्य है;
- छ. जमा जुटाने के कारण या उद्देश्य;
- ज. प्राप्त क्रेडिट रेटिंग; क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, प्राप्त रेटिंग, प्राप्त रेटिंग का अर्थ, रेटिंग प्राप्त करने की तारीख।
- झ. जमा बीमा का दायरा; बीमा कंपनी का नाम, बीमा कवरेज के निबंधन, कवरेज की अवधि, कवरेज का क्षेत्र, व्यतिक्रम आदि के मामले में दावे की प्रक्रिया आदि।
- ञ. इस प्रकार की जमा प्राप्त करने के लिए सृजित या सृजित किए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हो, के संक्षिप्त विवरण,
- ट. इस प्रकार की जमा में निदेशकों, संप्रवर्तकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई वित्तीय या अन्य सारवान् हित और उस हित का प्रभाव, जहां तक यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है।
- 3. किसी बकाया जमा का विवरण-
- क. बकाया रकम;
- ख. स्वीकृति की तारीख;
- ग. स्वीकृति कुल रकम;
- घ. ब्याज दर;

- ङ. जमाकर्ताओं की कुल संख्या;
- च. जमा के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम, यदि कोई हो, तो जिसमें जमाकर्ताओं की संख्या, व्यतिक्रम की रकम और अवधि दी जाए;
- छ. जमाकर्ताओं द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज में कोई छूट;

4. कंपनी की वित्तीय स्थिति

- क. परिपत्र या विज्ञापन जारी करने के पहले और उसके पश्चात् की तारीख से पूर्व के तीन वर्ष के लिए कर का उपबंध करने से पहले और उसके पश्चात् कंपनी के लाभ;
- ख. उक्त तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश; पिछले तीन वर्षों के लिए ब्याज कवेरज (कर के पश्चात् नकद लाभ और ब्याज भुगतान के पश्चात् नकद लाभ)
- ग. परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पूर्व के तीन संपरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार;
- घ. परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पहले के तीन वर्षों के संपरीक्षित नकदी प्रवाह विवरण;
- ङ. पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन और कंपनी के लाभ और आरक्षितियों पर उसका प्रभाव।

5. निदेशकों द्वारा घोषणा -

- क. कंपनी ने अधिनियम के प्रारंभ से पहले और इसके पश्चात् स्वीकृत जमा के प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है;
- ख. यह कि निदेशक बोर्ड ने कंपनी के कार्यों और भविष्य के संबंध में पूर्णतया समाधान कर लिया है और उनका यह विचार है कि कंपनी की प्रत्याशित भावी वित्तीय स्थिति को देखते हुए कंपनी अपनी देयताओं, जब वे बकाया होंगी, को पूरा कर सकेगी और कंपनी परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिवालिया नहीं होगी;
- ग. कंपनी ने अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है;
- घ. अधिनियम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं है कि जमा के प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्रीय सरकार की है;
- ङ. अधिनियम के प्रारंभ से पहले कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा का प्रतिसंदाय कर दिया गया है (या उस पर ब्याज के साथ दिनों के भीतर (दिन विशिष्ट किया जाए) उसका

प्रतिसंदाय कर दिया जाएगा और जब तक उसका प्रतिसंदाय नहीं होता है, ये प्रतिभूतिरहित और अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माने जाएंगे)।

- च. क्रेडिट रेटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होने पर जमाकर्ता को बिना किसी शास्ति के जमा वापस लेने का अवसर दिया जाएगा;
- छ. जमा का प्रयोग परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इंगित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा;
- ज. कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा (प्रतिभूति सहित जमा, यदि कोई हो, से भिन्न अन्य जमा, जिसकी कुल रकम उपदर्शित की जानी है) प्रतिभूतिरहित है और इसे कंपनी की अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माना जाएगा।

प्ररूप डीपीटी 2 जमा न्यास विलेख

[कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 7(2) के अनुसरण में]

जमा न्यास विलेख में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे -जमा स्कीम का विवरण --

- 1. जमा स्कीमों के माध्यम से वित्त जुटाने के प्रयोजन का कथन करने वाली प्रसंविदा;
- जमा स्कीम की रकम, अवधि, ब्याज/कूपन दर, भुगतान की अवधि और परिप्रतिसंदाय की अवधि संबंधी जैसे जमा रकम ब्यौरे:
- 3. कंपनी द्वारा स्कीम की शर्तों के अनुसार जमाधारक को उक्त जमा बकाया होने पर मूल रकम और उस पर ब्याज का संदाय, जब भी बकाया हो, करने का वचन-पत्र;
- 4. जमाधारकों को स्कीम की शर्तों में जमा के परिप्रतिसंदाय की शर्तें, उपलब्ध विकल्प, और ऋण इक्विटी अनुपात और ऋण सेवा कबरेज अनुपात, यदि कोई लागू हो, प्रकट करने वाली प्रसंविदा।

सृजित प्रभार के ब्यौरे-

- 1. गठित प्रभार का प्रकार;
- 2. गठित प्रभार का रेखा यथा प्रथम, द्वितीय, समरूप, अवशिष्ट आदि;
- उपबंधित किया जाने वाला न्यूनतम प्रतिभूति कवर;
- 4. आस्ति (आस्तियां) जिस पर प्रभार का सूजन किया गया है;
- प्रभार के अन्य ब्यौरे यथा प्रभार की समयावधि, ब्याज दर, प्रभारधारक का नाम;
- 6. अनुवर्ती मूल्यांकन के लिए उपबंध;
- 7. इस तथ्य का वचनबध कंपनी द्वारा शपथ-पत्र कि न्यासी के अनुमोदन के बिना न्यासी संपत्ति पर आगे कोई प्रभार या विंलगम नहीं डाला जाएगा;
- 8. एक विवरण कि प्रतिभूति के प्रवर्तित होने तक कंपनी बंधक रखे परिसरों को धारित करेगी और उसका उपयोग करेगी और कंपनी का कारबार करेगी।

जमा बीमा के विवरणः-

- 1. बीमाकर्ता का नाम:
- 2. बीमा कवर की रकम;
- 3. जमा बीमा संविदा शासित करने वाली अन्य शर्तें व निबंधन।

जमा न्यासी (न्यासियों) की नियुक्ति के विवरण:-

- 1. ऐसे न्यासियों की नियुक्ति, त्याग-पत्र और पदमुक्त करने की शर्तें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि-
 - (क) न्यासी की नियुक्ति की पृष्टि निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प से की जाएगी।
 - (ख) कंपनी द्वारा किसी न्यासी को पदमुक्त करना और उसके पश्चात् किस स्थानापन्न न्यासी की नियुक्ति को निदेशक बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया जाएगा।
 - (ग) न्यासी कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति, यदि कोई हो, तो उसे बोर्ड द्वारा भरा जाएगा।
- 2. न्यासी (न्यासियों) को उनकी सेवाओं के लिए बकाया पारिश्रमिक, कानूनी लागत, यात्रा और अन्य व्यय; और
- 3. न्यासी की शक्तियां और दायित्व।

रिपोर्टिंग अपेकाएं

इस आशय की प्रसंविदा कि:-

- 1. कंपनी यथोचित सतर्कता व कार्यकुशलता के साथ सही व सक्षम ढंग से अपना कारबार करेगी;
- 2. कंपनी किसी न्यासी को न्यास विलेख के अधीन उसके कर्तव्यों व दायित्वों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कंपनी के कारबार, बंधक संपत्ति और कार्यों से संबंधित, जहां तक विधि द्वारा अपेक्षित हो, सूचना प्रदान करेगी;
- कंपनी जमा के किसी भाग का उन प्रयोजनों, जिनके लिए ये स्वीकृत हैं, के अतिरिक्त अन्य उपयोग नहीं करेगी;
- 4. कंपनी वर्तमान प्रबंधन ढांचे में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना न्यासी को देगी;
- कंपनी शेयरधारकों को किसी वर्ष तब तक लाभांश देने की घोषणा नहीं करेगी जब कि कंपनी परिपक्क जमा की मूल रकम और जमा पर बकाया ब्याज का संदाय या संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था न करें; और
- 6. कंपनी किसी व्यतिक्रम या किसी अन्य परिस्थिति, जो जमाकर्ताओं के हितों को प्रभावित कर सकती है, की जानकारी मिलने पर तत्काल न्यासी को सुचित करेगी।

व्यतिक्रम की घटनाएं :-

- 1. वे घटनाएं, जिनमें जमा न्यासी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, में निम्नलिखित घटनाएं सम्मिलित हैं:-
 - क. यदि कंपनी किसी ब्याज और/या मूल रकम, जिसका भुगतान जमा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसरण में करना अनिवार्य है, के भुगतान में व्यतिक्रम करती है;
 - ख. यदि कंपनी जमाधारकों की सहमति के बिना अपना कारबार रोक देती है या इस प्रकार के अपने आशय की सूचना देती है,
 - ग. यदि कंपनी के समापन के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश किया गया है या कंपनी के सदस्यों द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है;
 - घ. यदि जमा आमंत्रित करने वाले परिपत्र या विज्ञापन की शर्तों या इस विलेख की प्रसंविदाओं का कोई अतिक्रमण किया गया है;
 - ङ. यदि कंपनी न्यासियों/जमाधारकों की पूर्वानुमति के बिना बंधक परिसर या किसी भाग पर आगे कोई प्रभार लगाती है या लगाने का प्रयास करती है;
 - च. यदि कंपनी अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती;
 - छ. यदि न्यासियों के पास यह निष्कर्ष निकालने का युक्तियुक्त आधार हो कि जमाधारकों की प्रतिभूति खतरे में है।
- 2. इस आशय की प्रसंविदा कि प्रतिभूति लागू होने पर न्यासी संपत्ति, जिस पर प्रभार लगाया गया हो, का कब्जा लेगा और अन्य प्रभार धारकों के परामर्श से यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी को जारी रखने की अनुमति दी जाए, कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन, यदि कोई हो तो, के लिए, किए गए उपाय, बंधक रखी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपेक्षित कार्रवाई और जमाधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित अन्य उपाय करेगा।
- 3. इस आशय कि प्रसंविदा कि न्यासी जमा बीमा के संबंध में जमाकर्ताओं की भुगतान करने के लिए बीमा के अधीन दावा दर्ज कर सकते हैं।

4. इस आशय कि प्रसंविदा कि किसी बंधक परिसर की बिक्री की शेष आय, सभी लागत प्रभार और बिक्री के लिए किए कर स्वर की क्षतिपूर्ति और जमाकर्तीओं को बकाया ब्याज और मूल रकम का भुगतान करने के पश्चात् कंपनी या उसके प्रतिनिधि को दी आएकी।

प्रकीर्ण

- 1. स्थितियां जिनके अधीन न्यास विलेख के उपबंध वा जमा की शर्ते व निबंधन उपांतरित किए जा सकते हैं;
- 2. ऋणी कंपनी, न्यासी और जमाधारकों को नोटिस या अन्य लिखत देने का तरीका;
- 3. ऋणी कंपनी को न्यासी विलेख या जमा पर किसी स्टांप फीस (यदि लागू हो) के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाना;
- 4. जमाधारकों के अधिवेशन संबंधी उपबंध।

प्ररूप डीपीटी 3 जमा की विवरणी

िकंपनी नियम (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 16 के अनुसरण में]

- 1. (क) सीआईएनः
 - (ख) जीएलएनः
- 2. (क) कंपनी का नामः
 - (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पताः
 - (ग) ई-मेल:
- 3. कंपनी की किस्म पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी
- 4. क्या कंपनी सरकारी कंपनी है:

हा नहीं

- 5. कंपनी के उद्देश्यः
- 6. (क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीखः
 - (ख) लेखों समापन की पिछली तारीख:
 - (ग) विज्ञापन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीखः
- 7. रिटर्न की तिथि से पूर्व पिछले लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शुद्ध मूल्य-
 - (क) (i) संदत्त शेयर पूंजी
 - (ii) मुक्त आरक्षित
 - (ख) (i) संचित हानि
 - (ii) आस्थगित राजस्य व्यय का शेष
 - (iii) संचित अनुपलब्धता अवमूल्यन
 - (iv) विविध व्यय और प्रारंभिक व्यय
 - (v) अन्य अमूर्त आस्तियां
 - (ग) शुद्ध मूल्य (क-ख)
 - (घ) जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् सरकारी कंपनी के मामलों में उपर्युक्त का 35% या अन्यों के मामले में 25%)
- 8. जमा के विवरम् (शेयरधारकों और अन्यों से प्राप्त जमा के संबंध में अलग-अलग दिए जाने हैं)

- (क) 1 अप्रैल को वर्तमान जमा की रकम
- (ख) वर्ष के दौरान स्वीकृत या नवीकरण की गई जमा की रकम
 - (क) प्रतिभूति जमा
 - (ख) प्रतिभूति रहित जमा
- (ग) वर्ष के दौरान पुनः सद्त जमा की रकम
- (घ) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष (क+ख-ग)
- 9. बकाया जमा का विवरण:-

विशिष्टियां	जमा प्राप्ति की तारीख	ब्याज दर	के पश्चात् पुनः संदाय किया जाना है
	·		·

- 10. (क) जमा की रकम जो देय हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया है:
 - (ख) जमा की रकम जो देय हो गई है और दावा की गई लेकिन जिसका संदाय नहीं किया गया है:
- 11. नकद आस्तियों के विवरण
 - (क) अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष 31 मार्च से पहले देय होने वाली जमा की रकम:
 - (ख) नकद आस्तियों में निवेश के लिए अपेक्षित रकम:
 - (ग) नकद आस्तियों के विवरणः

<u></u>	निवेश/जमा की तारीख	रकम
(क) किसी अधिसूचित बैंक में या अधिकार मुक्त चालू व जमा खाते में रकम	प्रभार याअन्य	, %) (1) (3)
(ख) केंद्रीय/राज्य सरकार की मुक्त प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य	प्रभार	
(ग) प्रभार मुक्त न्यास प्रतिभूति प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य	यां	

- 12. जमा बीमा के विवरणः
 - (क) जमा बीमा संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख
 - (ख) बीमाकर्ताकानाम
 - (ग) संदेय प्रीमियम
 - (घ) प्रीमियम का संदाय कब तक किया गया है:
 - (ङ) प्रत्येक जमाकर्ता के लिए अधिकतम सीमा
- 13. प्रभार के विवरण
 - (क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख
 - (ख) न्यासीकानाम

- (ग) संपत्ति के संक्षिप्त विवरण जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार लगाया गया है
- (घ) संपत्ति का मूल्य

हस्ताक्षर

तारीख स्थानः

संलग्नकः

- 1. लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र:
- 2. जमा बीमा संविदा:
- 3. न्यास विलेख की प्रति;
- 4. प्रभार लगाने की लिखत की प्रति;
- 5. जमाकर्ताओं के नाम, पता, जमा की गई रकम, वर्ष के दौरान संदत्त और बकाया, शोध्य ब्याज, वित्त वर्ष की समाप्ति पर शोध्य संदेय ब्याज तथा पृथक रूप से उन जमा को जो परिपक्व नहीं हुए हैं, परिपक्व हो गए हैं, जिनका दावा किया गया है, संदाय किया गया है और परिपक्व हो गए हैं किंतु संदाय के लिए दावा नहीं किया गया है को उपदर्शित करते हुए सूची। परिपक्व जमा, जारी किए गए चेक, किंतु जिनका समाशोधन नहीं किया गया है को पृथक: उपदर्शित किया जाएगा।
- 6. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

प्ररूप डीपीटी 4 जमा की विवरणी अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान जमाओं का विवरण [कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में]

- 1. (क) सीआईएनः
 - (ख) जीएलएनः
- 2. (क) कंपनी का नामः
 - (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पताः
 - (ग) ई-मेल:
- कंपनी की किस्म पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी
- 4. क्या कंपनी सरकारी कंपनी है:

हां नहीं

- 5. अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को बकाया कुल जमा:
 - (क) राशि (रुपए में)
 - (ख) जमाकर्ताओं की संख्या
- 6. 5 में उल्लिखित कुल जमा के निम्नलिखित शीर्ष के तहत ब्यौरे (राशि रुपए में)
 - (क) जमा की रकम जो देय हो गई है लेकिन जिसका सदाय नहीं किया गया है;
 - (ख) उस पर ब्याज जो देय हो गया है लेकिन जिसका संदाय नहीं किया गया है;
 - (ग) जमा की रकम जो देय हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया है;
 - (घ) उसपर ब्याज की रकम जो देय हो गई है लेकिन जिसका संदाय नहीं किया गया है;

- (ङ) जमा की रकम जो संदाय के लिए देय नहीं हुई है;
- 7. अगले तीन महीने में संदाय के लिए देय होने वाली जमा की रकम।
- 8. संदाय के लिए देय होने वाली जमा की रकम के संदाय के लिए की गई व्यवस्था।

हस्ताक्षर

तारीख

स्थान:

संलग्नक:

- लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र:
- 2. जमाकर्ताओं के नाम, पता, जमा की गई रकम, वर्ष के दौरान संदत्त और बकाया, शोध्य ब्याज, वित्त वर्ष की समाप्ति पर शोध्य संदेय ब्याज तथा पृथक रूप से उन जमा को जो परिपक्व नहीं हुए हैं, परिपक्व हो गए हैं, जिनका दावा किया गया है, संदाय किया गया है और परिपक्व हो गए हैं, जिनका दावा किया गया है किंतु संदाय के लिए दावा नहीं किया गया है को उपदर्शित करते हुए सूची। परिपक्व जमा, जारी किए गए चेक, किंतु जिनका समाशोधन नहीं किया गया है को पृथक: उपदर्शित किया जाएगा।
- 3. वैकल्पिक संलग्नक।

[फा. सं. 1/8/2013-सीएल-V]

रेणका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R 256 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2, section 73 and section 76 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 or any other rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title, commencement and application.- (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.
- (3) These rules shall apply to a company other than -
 - (i) a banking company;
 - (ii) a non-banking financial company as defined in the Reserve Bank of India Act. 1934 (2 of 1934) registered with the Reserve Bank of India;
 - (iii) a housing finance company registered with the National Housing Bank established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987); and
 - (iv) a company specified by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 73 of the Act.
 - 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, ____
 - (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (b) "Annexure" means the Annexure attached to these rules;
 - (c) "deposit" includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form, by a company, but does not include -
 - (i) any amount received from the Central Government or a State Government, or any amount received from any other source whose repayment is guaranteed by the Central Government or a State Government, or any amount received from a local authority, or

any amount received from a statutory authority constituted under an Act of Parliament or a State Legislature;

- (ii) any amount received from foreign Governments, foreign or international banks, multilateral financial institutions (including, but not limited to, International Finance Corporation, Asian Development Bank, Commonwealth Development Corporation and International Bank for Industrial and Financial Reconstruction), foreign Governments owned development financial institutions, foreign export credit agencies, foreign collaborators, foreign bodies corporate and foreign citizens, foreign authorities or persons resident outside India subject to the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and rules and regulations made there under;
- (iii) any amount received as a loan or facility from any banking company or from the State Bank of India or any of its subsidiary banks or from a banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), or a corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or in clause (b) of section (2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), or from a co-operative bank as defined in clause (b-ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (iv) any amount received as a loan or financial assistance from Public Financial Institutions notified by the Central Government in this behalf in consultation with the Reserve Bank of India or any regional financial institutions or Insurance Companies or Scheduled Banks as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (v) any amount received against issue of commercial paper or any other instruments issued in accordance with the guidelines or notification issued by the Reserve Bank of India;
- (vi) any amount received by a company from any other company;
- (vii) any amount received and held pursuant to an offer made in accordance with the provisions of the Act towards subscription to any securities, including share application inoney or advance towards allotment of securities pending allotment, so long as such amount is appropriated only against the amount due on allotment of the securities applied for:

Explanation .- For the purposes of this sub-clause, it is hereby clarified that -

- (a) Without prejudice to any other liability or action, if the securities for which application money or advance for such securities was received cannot be allotted within sixty days from the date of receipt of the application money or advance for such securities and such application money or advance is not refunded to the subscribers within fifteen days from the date of completion of sixty days, such amount shall be treated as a deposit under these rules.
- (b) any adjustment of the amount for any other purpose shall not be treated as refund.

(viii) any amount received from a person who, at the time of the receipt of the amount, was a director of the company:

Provided that the director from whom money is received, furnishes to the company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others;

any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by a first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets of the company or bonds or debentures compulsorily convertible into shares of the company within five years:

Provided that if such bonds or debentures are secured by the charge of any assets referred to in Schedule III of the Act, excluding intangible assets, the amount of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such assets as assessed by a registered valuer;

- any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under a contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit;
- (xi) any non-interest bearing amount received or held in trust;
- (xii) any amount received in the course of, or for the purposes of, the business of the company,

- (a) as an advance for the supply of goods or provision of services accounted for in any manner whatsoever provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of services within a period of three hundred and sixty five days from the date of acceptance of such advance:
 - Provided that in case of any advance which is subject matter of any legal proceedings before any court of law, the said time limit of three hundred and sixty five days shall not apply:
- (b) as advance, accounted for in any manner whatsoever, received in connection with consideration for property under an agreement or arrangement, provided that such advance is adjusted against the property in accordance with the terms of agreement or arrangement;
- (c) as security deposit for the performance of the contract for supply of goods or provision of services;
- (d) as advance received under long term projects for supply of capital goods except those covered under item (b) above:

Provided that if the amount received under items (a), (b) and (d) above becomes refundable (with or without interest) due to the reasons that the company accepting the money does not have necessary permission or approval, wherever required, to deal in the goods or properties or services for which the money is taken, then the amount received shall be deemed to be a deposit under these rules:

Explanation.- For the purposes of this sub-clause the amount referred to in the first proviso shall be deemed to be deposits on the expiry of fifteen days from the date they become due for refund.

(xiii) any amount brought in by the promoters of the company by way of unsecured loan in pursuance of the stipulation of any lending financial institution or a bank subject to fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) the loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by the lending institutions on the promoters to contribute such finance;
- (b) the loan is provided by the promoters themselves or by their relatives or by both; and
- (c) the exemption under this sub-clause shall be available only till the loans of financial institution or bank are repaid and not thereafter;
- (xiv) any amount accepted by a Nidhi company in accordance with the rules made under section 406 of the Act. Explanation.- For the purposes of this clause, any amount.-
- (a) received by the company, whether in the form of instalments or otherwise, from a person with promise or offer to give returns, in cash or in kind, on completion of the period specified in the promise or offer, or earlier, accounted for in any manner whatsoever, or
- (b) any additional contributions, over and above the amount under item (a) above, made by the company as part of such promise or offer,

shall be treated as a deposit;

- (d) "depositor" means,-
 - (i) any member of the company who has made a deposit with the company in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 73 of the Act, or
 - (ii) any person who has made a deposit with a public company in accordance with the provisions of section 76 of the Act;
- (e) "eligible company" means a public company as referred to in sub-section (1) of section 76, having a net worth of not less than one hundred crore rupees or a turnover of not less than five hundred crore rupees and which has obtained the prior consent of the company in general meeting by means of a special resolution and also filed the said resolution with the Registrar of Companies before making any invitation to the Public for acceptance of deposits:

Provided that an eligible company, which is accepting deposits within the limits specified under clause (c) of sub-section (1) of section 180, may accept deposits by means of an ordinary resolution;

- (f) "fees" means fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;
- (g) "Form" or 'e-Form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
- (h) "section" means section of the Act;

- (i) "trustee" means the trustee as defined in section 3 of the Indian Trusts Act, 1882 (12 of 1882).
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Acts or in the said rules.
- 3. Terms and conditions of acceptance of deposits by companies.- (1) On and from the commencement of these rules,—
- (a) no company referred to in sub-section (2) of section 73 and no eligible company shall accept or renew any deposit, whether secured or unsecured, which is repayable on demand or upon receiving a notice within a period of less than six months or more than thirty-six months from the date of acceptance or renewal of such deposit:

Provided that a company may, for the purpose of meeting any of its short-term requirements of funds, accept or renew such deposits for repayment earlier than six months from the date of deposit or renewal, as the case may be, subject to the condition that-

- (a) such deposits shall not exceed ten per cent. of the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the company, and
- (b) such deposits are repayable not earlier than three months from the date of such deposits or renewal thereof.
- (2) Where depositors so desire, deposits may be accepted in joint names not exceeding three, with or without any of the clauses, namely, "Jointly", "Either or Survivor", "First named or Survivor", "Anyone or Survivor".
- (3) No company referred to in sub-section (2) of section 73 shall accept or renew any deposit from its members, if the amount of such deposits together with the amount of other deposits outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposits exceeds twenty five per cent. of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves of the company.
- (4) No eligible company shall accept or renew-
 - (a) any deposit from its members, if the amount of such deposit together with the amount of deposits outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposits from members exceeds ten per cent. of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves of the company;
 - (b) any other deposit, if the amount of such deposit together with the amount of such other deposits, other than the deposit referred to in clause (a), outstanding on the date of acceptance or renewal exceeds twenty-five per cent. of aggregate of the paid-up share capital and free reserves of the company.
- (5) No Government company eligible to accept deposits under section 76 shall accept or renew any deposit, if the amount of such deposits together with the amount of other deposits outstanding as on the date of acceptance or renewal exceeds thirty five per cent. of the aggregate of its paid up share capital and free reserves of the company.
- (6) No company referred to in sub-section (2) of section 73 or any eligible company shall invite or accept or renew any deposit in any form, carrying a rate of interest or pay brokerage thereon at a rate exceeding the maximum rate of interest or brokerage prescribed by the Reserve Bank of India for acceptance of deposits by non-banking financial companies.

Explanation:- For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the person who is authorised, in writing, by a company to solicit deposits on its behalf and through whom deposits are actually procured shall only be entitled to the brokerage and payment of brokerage to any other person for procuring deposits shall be deemed to be in violation of these rules.

- (7) The company shall not reserve to itself either directly or indirectly a right to alter, to the prejudice or disadvantage of the depositor, any of the terms and conditions of the deposit, deposit trust deed and deposit insurance contract after circular or circular in the form of advertisement is issued and deposits are accepted.
- 4. Form and particulars of advertisements or circulars.- (1) Every company referred to in sub-section (2) of section 73 intending to invite deposit from its members shall issue a circular to all its members by registered post with acknowledgement due or speed post or by electronic mode in Form DPT-1:

Provided that in addition to issue of such circular to all members in the manner specified above, the circular may be published in English language in an English newspaper and in vernacular language in a vernacular newspaper having wide circulation in the State in which the registered office of the company is situated.

- (2) Every eligible company intending to invite deposits shall issue a circular in the form of an advertisement in Form DPT-1 for the purpose in English language in an English newspaper and in vernacular language in one vernacular newspaper having wide circulation in the State in which the registered office of the company is situated.
- (3) Every company inviting deposits from the public shall upload a copy of the circular on its website, if any.
- (4) No company shall issue or allow any other person to issue or cause to be issued on its behalf, any circular or a circular in the form of advertisement inviting deposits, unless such circular or circular in the form of advertisement is issued on the authority and in the name of the Board of directors of the company.

- (5) No circular or a circular in the form of advertisement shall be issued by or on behalf of a company unless, not less than thirty days before the date of such issue, there has been delivered to the Registrar for registration a copy thereof signed by a majority of the directors of the company as constituted at the time the Board approved the circular or circular in the form of advertisement, or their agents, duly authorised by them in writing.
- (6) A circular or circular in the form of advertisement issued shall be valid until the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is issued or until the date on which the financial statement is laid before the company in annual general meeting or, where the annual general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Act, whichever is earlier, and a fresh circular or circular in the form of advertisement shall be issued, in each succeeding financial year, for inviting deposits during that financial year.

Explanation: For the purpose of this rule, the date of the issue of the newspaper in which the advertisement appears shall be taken as the date of issue of the advertisement and the effective date of issue of circular shall be the date of dispatch of the circular.

5. Manner and extent of deposit insurance.- (1) Every company referred to in sub-section (2) of section 73 and every other eligible company inviting deposits shall enter into a contract for providing deposit insurance at least thirty days before the issue of circular or advertisement or at least thirty days before the date of renewal, as the case may be.

Explanation- For the purposes of this sub-rule, the amount as specified in the deposit insurance contract shall be deemed to be the amount in respect of both principal amount and interest due thereon.

(2) The deposit insurance contract shall specifically provide that in case the company defaults in repayment of principal amount and interest thereon, the depositor shall be entitled to the repayment of principal amount of deposits and the interest thereon by the insurer up to the aggregate monetary ceiling as specified in the contract:

Provided that in the case of any deposit and interest not exceeding twenty thousand rupees, the deposit insurance contract shall provide for payment of the full amount of the deposit and interest and in the case of any deposit and the interest thereon in excess of twenty thousand rupees, the deposit insurance contract shall provide for payment of an amount not less than twenty thousand rupees for each depositor.

- (3) The amount of insurance premium paid on the insurance of such deposits shall be borne by the company itself and shall not be recovered from the depositors by deducting the same from the principal amount or interest payable thereon.
- (4) If any default is made by the company in complying with the terms and conditions of the deposit insurance contract which makes the insurance cover ineffective, the company shall either rectify the default immediately or enter into a fresh contract within thirty days and in case of non-compliance, the amount of deposits covered under the deposit insurance contract and interest payable thereon shall be repaid within the next fifteen days and if such a company does not repay the amount of deposits within said fifteen days it shall pay fifteen per cent. interest per annum for the period of delay and shall be treated as having defaulted and shall be liable to be punished in accordance with the provisions of the Act.
- 6. Creation of security.- (1) For the purposes of providing security, every company referred to in sub-section (2) of section 73 and every eligible company inviting secured deposits shall provide for security by way of a charge on its assets as referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets of the company for the due repayment of the amount of deposit and interest thereon for an amount which shall not be less than the amount remaining unsecured by the deposit insurance:

Provided that in the case of deposits which are secured by the charge on the assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets, the amount of such deposits and the interest payable thereon shall not exceed the market value of such assets as assessed by a registered valuer.

Explanation. I - For the purposes of this sub-rule it is clarified that the company shall ensure that the total value of the security either by way of deposit insurance or by way of charge or by both on company's assets shall not be less than the amount of deposits accepted and the interest payable thereon.

Explanation. II- For the purposes of proviso to sub-clause (ix) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 2 and this sub-rule, it is hereby clarified that pending notification of sub-section (1) of section 247 of the Act and finalisation of qualifications and experience of valuers, valuation of stocks, shares, debentures, securities etc. shall be conducted by an independent merchant banker who is registered with the Securities and Exchange Board of India or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years.

- (2) The security (not being in the nature of a pledge) for deposits as specified in sub-rule (1) shall be created in favour of a trustee for the depositors on:
 - (a) specific movable property of the company, or
 - (b) specific immovable property of the company wherever situated, or any interest therein.
- 7. Appointment of trustee for depositors.- (1) No company referred to in sub-section (2) of section 73 or any eligible company shall issue a circular or advertisement inviting secured deposits unless the company has appointed one or more trustees for depositors for creating security for the deposits:

Provided that a written consent shall be obtained from the trustee for depositors before their appointment and a statement shall appear in the circular or circular in the form of advertisement with reasonable prominence to the effect that the trustees for depositors have given their consent to the company to be so appointed.

- (2) The company shall execute a deposit trust deed in Form **DPT-2** at least seven days before issuing the circular or circular in the form of advertisement.
- (3) No person including a company that is in the business of providing trusteeship services shall be appointed as a trustee for the depositors, if the proposed trustee -
 - (a) is a director, key managerial personnel or any other officer or an employee of the company or of its holding, subsidiary or associate company or a depositor in the company;
 - (b) is indebted to the company, or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company;
 - (c) has any material pecuniary relationship with the company;
 - (d) has entered into any guarantee arrangement in respect of principal debts secured by the deposits or interest thereon;
 - (e) is related to any person specified in clause (a) above.
- (4) No trustee for depositors shall be removed from office after the issue of circular or advertisement and before the expiry of his term except with the consent of all the directors present at a meeting of the board.

Provided that in case the company is required to have independent directors, at least one independent director shall be present in such meeting of the Board

- 8. Duties of trustees.- It shall be the duty of every trustee for depositors to-
 - (a) ensure that the assets of the company on which charge is created together with the amount of deposit insurance are sufficient to cover the repayment of the principal amount of secured deposits outstanding and interest accrued thereon:
 - (b) satisfy himself that the circular or advertisement inviting deposits does not contain any information which is inconsistent with the terms of the deposit scheme or with the trust deed and is in compliance with the rules and provisions of the Act;
 - (c) ensure that the company does not commit any breach of covenants and provisions of the trust deed;
 - (d) take such reasonable steps as may be necessary to procure a remedy for any breach of covenants of the trust deed or the terms of invitation of deposits;
 - (e) take steps to call a meeting of the holders of depositors as and when such meeting is required to be held;
 - (f) supervise the implementation of the conditions regarding creation of security for deposits and the terms of deposit insurance;
 - (g) do such acts as are necessary in the event the security becomes enforceable;
 - (h) carry out such acts as are necessary for the protection of the interest of depositors and to resolve their grievances.
- 9. Meeting of depositors.- The trustee for depositors shall call a meeting of all the depositors on-
 - (a) requisition in writing signed by at least one-tenth of the depositors in value for the time being outstanding;
 - (b) the happening of any event, which constitutes a default or which, in the opinion of the trustee for depositors, affects the interest of the depositors.
- 10. Form of application for deposits.- (1) On and from the commencement of these rules, no company shall accept, or renew any deposit, whether secured or unsecured, unless an application, in such form as specified by the company, is submitted by the intending depositor for the acceptance of such deposit.
- (2) The form of application referred to in sub-rule (1) shall contain a declaration by the intending depositor to the effect that the deposit is not being made out of any money borrowed by him from any other person.
- 11. Power to nominate.- Every depositor may, at any time, nominate any person to whom his deposits shall vest in the event of his death and the provisions of section 72 shall, as far as may be, apply to the nomination made under this rule.
- 12. Furnishing of deposit receipts to depositors.- (1) Every company shall, on the acceptance or renewal of a deposit, furnish to the depositor or his agent a receipt for the amount received by the company, within a period of twenty one days from the date of receipt of money or realisation of cheque or date of renewal.
- (2) The receipt referred to in sub-rule (1) shall be signed by an officer of the company duly authorised by the Board in this behalf and shall state the date of deposit, the name and address of the depositor, the amount received by the company as deposit, the rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable.

13. Maintenance of liquid assets and creation of deposit repayment reserve account.- Every company referred to in sub-section (2) of section 73 and every eligible company shall on or before the 30th day of April of each year deposit the sum as specified in clause (c) of the said sub-section with any scheduled bank and the amount so deposited shall not be utilised for any purpose other than for the repayment of deposits:

Provided that the amount remaining deposited shall not at any time fall below fifteen per cent. of the amount of

deposits maturing, until the end of the current financial year and the next financial year.

- 14. Registers of deposits.- (1) Every company accepting deposits shall maintain at its registered office one or more separate registers for deposits accepted or renewed, in which there shall be entered separately in the case of each depositor the following particulars, namely:-
 - (a) name, address and PAN of the depositor/s;
 - (b) particulars of guardian, in case of a minor;
 - (c) particulars of the nominee;
 - (d) deposit receipt number;
 - (e) date and the amount of each deposit;
 - (f) duration of the deposit and the date on which each deposit is repayable;
 - (g) rate of interest or such deposits to be payable to the depositor;
 - (h) due date for payment of interest;
 - (i) mandate and instructions for payment of interest and for non-deduction of tax at source, if any;
 - (j) date or dates on which the payment of interest shall be made;
 - (k) details of deposit insurance including extent of deposit insurance;
 - (l) particulars of security or charge created for repayment of deposits;
 - (m) any other relevant particulars;
- (2) The entries specified in sub-rule (1) shall be made within seven days from the date of issuance of the receipt duly authenticated by a director or secretary of the company or by any other officer authorised by the Board for this purpose.
- (3) The register referred to in sub-rule (1) shall be preserved in good order for a period of not less than eight years from the financial year in which the latest entry is made in the register.
- 15. General provisions regarding premature repayment of deposits.- Where a company makes a repayment of deposits, on the request of the depositor, after the expiry of a period of six months from the date of such deposit but before the expiry of the period for which such deposit was accepted, the rate of interest payable on such deposit shall be reduced by one per cent. from the rate which the company would have paid had the deposit been accepted for the period for which such deposit had actually run and the company shall not pay interest at any rate higher than the rate so reduced:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the repayment of any deposit before the expiry of the period for which such deposit was accepted by the company, if such repayment is made solely for the purpose of-

(a) complying with the provisions of rule 3; or

(b) providing war risk or other related benefits to the personnel of the naval, military or air forces or to their families, on an application made by the associations or societies formed by such personnel, during the period of

emergency declared under article 352 of the Constitution : Provided further that where a company referred to in under sub-section (2) of section 73 or any eligible company permits a depositor to renew his deposit, before the expiry of the period for which such deposit was accepted by the company, for availing of a higher rate of interest, the company shall pay interest to such depositor at the higher rate if such deposit is renewed in accordance with the other provisions of these rules and for a period longer than the unexpired period of the deposit.

Explanation: For the purposes of this rule, where the period for which the deposit had run contains any part of a year, then, if such part is less than six months, it shall be excluded and if such part is six months or more, it shall be reckoned

- 16. Return of deposits to be filed with the Registrar.- Every company to which these rules apply, shall on or before the 30th day of June, of every year, file with the Registrar, a return in Form DPT-3 along with the fee as provided in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 and furnish the information contained therein as on the 31st day of March of that year duly audited by the auditor of the company.
- 17. Penal rate of interest.- Every company shall pay a penal rate of interest of eighteen per cent. per annum for the overdue period in case of deposits, whether secured or unsecured, matured and claimed but remaining unpaid.
- 18. Power of Central Government to decide certain questions.

If any question arises as to the applicability of these rules to a particular company, such question shall be decided by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India.

19. Applicability of sections 73 and 74 to eligible companies.- Pursuant to provisions of sub-section (2) of section 76 of the Act, the provisions of sections 73 and 74 shall, mutatis mutandis, apply to acceptance of deposits from public by eligible companies.

Explanation.- For the purposes of this rule, it is hereby clarified that in case of a company which had accepted or invited public deposits under the relevant provisions of the Companies Act, 1956 and rules made under that Act (hereinafter known as "Earlier Deposits") and has been repaying such deposits and interest thereon in accordance with such provisions, the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 74 of the Act shall be deemed to have been complied with if the company complies with requirements under the Act and these rules and continues to repay such deposits and interest due thereon on due dates for the remaining period of such deposit in accordance with the terms and conditions and period of such Earlier Deposits and in compliance with the requirements under the Act and these rules;

Provided further that the fresh deposits by every eligible company shall have to be in accordance with the provisions of Chapter V of the Act and these rules;

- 20. Statement regarding deposits existing as on the date of commencement of the Act.- For the purposes of clause (a) of sub-section (1) of section 74, the statement shall be in Form DPT-4.
- 21. Punishment for contravention.— If any company referred to in sub-section (2) of section 73 or any eligible company inviting deposits or any other person contravenes any provision of these rules for which no punishment is provided in the Act, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first day during which the contravention continues.

Annexure

FORM DPT-1 CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS

[Pursuant to section 73 (2)(a) and section 76 and rule 4(1) and 4(2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

The circular or circular in the form of advertisement shall contain the following:

1. GENERAL INFORMATION

- a. Name, address, website and other contact details of the company;
- b. Date of incorporation of the company;
- c. Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any,
- d. Brief particulars of the management of the company;
- e. Names, addresses, DIN and occupations of the directors:
- f. Management's perception of risk factors;
- g. Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of -
- i) statutory dues;
- ii) debentures and interest thereon;
- iii) loan from any bank or financial institution and interest thereon.

2. PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

- a. Date of passing of board resolution;
- b. Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits;
- c. Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured;
- d. Amount which the company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months;
- e. Terms of raising of deposits: Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment;
- f. Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement is valid;
- g. Reasons or objects of raising the deposits;
- h. Credit rating obtained; Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning of the rating obtained, Date on which rating was obtained.
- i. Extent of deposit insurance, ; Name of the Insurance Company, terms of the insurance coverage, duration of coverage, extent of coverage, procedure for claim in case of default etc.
- j. Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any;
- k. Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons.

3. DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

- a. Amount Outstanding;
- b. Date of acceptance;
- c. Total amount accepted
- d. Rate of interest;

- e. Total number of depositors;
- f. Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and duration of default involved;
- g. Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits;

4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

- a. Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- b. Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid or interest paid)
- c. A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- d. Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- e. Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company.

5. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT-

- a. the company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment of interest there on;
- b. the board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the company, the company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement;
- c. the company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- d. the compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government;
- e. the deposits accepted by the company before the commencement of the Act have been repaid (or will be repaid along with _ days (days to be specified) and until they are repaid, they shall be treated as unsecured and ranking interest within _ pari passu with other unsecured liabilities).
- f. In case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty.
- g. the deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the form of advertisement;
- h. the deposits accepted by the company (other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which to be indicated) are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the company.

Form DPT-2

Deposit Trust Deed

[Pursuant to rule 7(2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

The deposit trust deed shall, inter alia, contain the following:-

DESCRIPTION OF DEPOSIT SCHEME -

- 1. Covenants stating the purpose of raising finance through the deposit scheme:
- Details of deposit scheme as regards amount, tenure, interest or coupon rate, periodicity of payment, mode of payment and period of redemption;
- 3. An undertaking by the company to pay the interest and principal amount of such deposits to the depositors as and when it becomes due, as per the terms of the scheme;
- 4. Covenants stating the terms of redemption of the deposits in terms of the scheme to the depositors, options available, and debt equity ratio and debt service coverage ratio, if applicable.

DETAILS OF CHARGE CREATED:-

- 1. Nature of charge created;
- 2. Rank of charge created viz. first, second, pari passu, residual, etc;
- 3. Minimum security cover to be provided;
- 4. Asset(s) on which charge is created;
- 5. Other particulars of the charge, e.g., time period of charge, rate of interest, name of the charge holder,
- 6. Provision for subsequent valuation:
- 7. Undertaking by the company not to create further charge or encumbrance over the trust property without the approval of the trustee;
- 8. A statement that the company may hold and enjoy all the mortgaged premises and carry on the business of the company until the security becomes enforceable.

DETAILS OF DEPOSIT INSURANCE

- 1. Name of the insurer;
- 2. Amount of the insurance cover:
- 3. Other terms and conditions governing deposit insurance contract.

PARTICULARS OF THE APPOINTMENT OF DEPOSIT TRUSTEE(S):-

- 1. The conditions for the appointment, resignation and removal of such trustee, which shall ensure that-
 - (a) the appointment of the trustee must be confirmed by the resolution passed by the Board of Directors.
 - (b) any removal of a trustee and subsequent appointment of a substitute trustee by the company must also be approved by the Board of Directors.
 - (c) the casual vacancy, if any, arising in the office of the trustees, shall be filled by the board.
- 2. Remuneration, legal cost, travelling and other expenses payable to the trustee(s) for their services; and
- 3. Powers and duties of the trustee.

REPORTING REQUIREMENTS

A covenant to the effect that:-

- 1. the company will carry on its business in a proper and efficient manner with due diligence and efficiency;
- the company will give to the trustee any information to the extent required by law relating to business, mortgage property
 and affairs of the company which the trustee may require in order to discharge its duties and obligations as trustee under the
 trust deed;
- 3. the company will not utilize any portion of the deposit for purposes other than those for which the same are accepted;
- 4. the company will inform the trustee of any material changes in the existing management set up;
- 5. the company will not declare any dividend to the shareholders in any year until the company has paid or made satisfactory arrangements for the payment of the principal amounts of matured deposits and interest due on the deposits; and
- 6. the company shall immediately notify the trustee if it becomes aware of any event of default or any other circumstance which may prejudice the interests of the depositors.

EVENTS OF DEFAULTS:-

- 1. Events which may invite actions by the deposit trustee shall include the following events:
 - If the company commits default in the payment of any interest and principal which ought to be paid in accordance with the terms of the acceptance of deposits;
 - b. If the company without the consent of depositors ceases to carry on its business or gives notice of its intention to do so;

- If an order has been made by the Court or a special resolution has been passed by the members of the company for winding up of the company;
- If any breach of the terms of the circular or advertisement inviting deposits or of the covenants of this deed is committed;
- If the company creates or attempts to create any further charge on the mortgaged premises or any part thereof without the prior approval of the trustees or depositors;
- If the company fails to comply with provisions of the Act;
- If the Trustees have reasonable grounds to conclude that the security of the depositors is in jeopardy.
- 2. Covenant to the effect that in case of the security becoming enforceable, the trustees shall enter into and take possession of the property on which charge is created and shall, in consultation with the other charge holders forthwith take steps to determine whether the business of the company may be allowed to be carried on, the steps to be taken for changes in management of the company, if any, actions necessary for protection of the mortgaged property and other steps required for protecting the interests of the depositors.
- Covenant to the effect that the trustees may lodge a claim under insurance for payment to depositors in terms of deposit
- 4. Covenant to the effect that the balance proceeds of any sale of the mortgaged premises shall, after setting off of all costs, charges and expenses incurred for the sale and payment of interest and the principal money due to depositors, be paid to the company or its assignee

MISCELLANEOUS

- 1. The conditions under which the provisions of the trust deed or the terms and conditions of the deposits may be modified;
- 2. The mode of service of notices and other documents on the borrower company, the trustee and the holders of the deposits;
- 3. The borrower company to be responsible for paying any stamp duty on the trust deed or the deposits (if applicable);
- 4. Provisions regarding the meeting of the deposit holders

Form DPT-3 Return of deposits

[Pursuant to rule 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

- 1. (a) CIN:
 - (b) GLN:
- 2. (a) Name of the company:
 - (b) Registered office address:
 - (c) E-mail Id:
- 3. Whether the company is

Public company

Private company

4. Whether the company is a government company:

YES

NO

- 5. Objects of the company:
- 6. (a) Date of issue of advertisement or circular:
 - (b) Date of last closing of accounts:
 - (c) Date of expiry of validity of advertisement or circular:
- 7. Net Worth as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return-
 - (a) (i) Paid up share capital
 - (ii) Free reserves
 - (b) (i) Accumulated loss
 - (ii) Balance of deferred revenue expenditure
 - (iii) Accumulated unprovided depreciation
 - (iv) Miscellaneous expense and preliminary expenses
 - (v) Other intangible assets
 - (c) Net worth (a-b)
 - (d) Maximum limit of deposits (i.e, 35% of the above in case of Government Company or 25% in case of others)
- 8. Particulars of deposits(to be furnished in respect of deposits from shareholders and others separately)

- (a) Amount of existing deposits as at 1st April
- (b) Amount of deposits accepted or renewed during the year
 - (a) Secured deposits
 - (b) Unsecured deposits
- (c) Amount of deposits repaid during the year
- (d) Balance of deposits outstanding at the end of the year (a+b-c)
- 9. Details of outstanding deposits:

Particulars	Date of receipt of deposit	Rate of interest	Repayable after

- 10. (a) Amount of deposits that have matured but not claimed:
 - (b) Amount of deposits that have matured and claimed but not paid:
- 11. Particulars of liquid assets
 - (a) Amount of deposits maturing before 31st March next year and

following next year:

- (b) Amount required to be invested in liquid assets:
- (c) Details of liquid assets-

*	Date of investment/ deposit	Amount
(a) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank		
(b) Unencumbered securities of Central/State Government		
Face value Market value		
(c) Unencumbered trust securities		
Face value Market value		

- 12. Particulars of deposit insurance:
 - (a) Date of entering into deposit insurance contract
 - (b) Name of the insurer

(c) Premium payal

- (d) Premium paid upto:
- (e) Maximum ceiling limit for every depositor
- 13. Particulars of charge
 - (a) Date of entering into trust deed
 - (b) Name of the trustee
 - (c) Short particulars of the property on which charge is created for securing depositors
 - (d) Value of the property

Signature

Date:

Place:

Attachment:

- 1. Auditor's certificate;
- 2. Deposit insurance contract;
- 3. Copy of trust deed;
- 4. Copy of instrument creating charge;
- 5. List of depositors indicating name, address, amount deposited, repaid during the year and outstanding, interest due, paid and payable as at the close of the Financial Year and separately indicating deposits not yet matured, matured, claimed and paid and matured, claimed but not paid and matured but not claimed for payment. List of deposits matured, cheques issued but not yet cleared to be shown separately.
- 6. Optional attachment, if any.

Form DPT-4

Statement regarding deposits existing on the commencement of the Act

[Pursuant to rule 20 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

- 1. (a) CIN:
- (b) GLN:
- 2. (a) Name of the company:
 - (b) Registered office address:
 - (c) E-mail Id:
- 3. Whether the company is

Public company

Private company

4. Whether the company is a government company:

YES

NO

- 5. Total deposits outstanding as on the commencement of this Act:
- (a) amount (in Rs.)
- (b) number of depositors
- 6. Details of total deposits mentioned at 5 above under following heads (amount in Rs.)
- (a) deposits due but not paid;
- (b) interest due thereon but not paid;
- (c) deposits due but not claimed;
- (d) interest due thereon but not claimed;
- (e) deposits not yet due for repayment,
- 7. Deposits due for repayment in next three months.
- 8. Arrangements made for repayment of deposits due for repayment.

Signature

Date:

Place:

Attachment:

- 1. Auditor's certificate;
- 2. List of depositors indicating name, address, amount deposited, repaid during the year and outstanding, interest due, paid and payable as at the close of the Financial Year and separately indicating deposits not yet matured, matured, claimed and paid and matured, claimed but not paid and matured but not claimed for payment. List of deposits matured, cheques issued but not yet cleared to be shown separately.
- 3. Optional attachment.

[F. No. 1/8/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.